

फैक्ट्री मालिकों को बिजली चोरी के जुर्म में 2 साल की कैद

4 लाख का जुर्माना, जुमाने का भुगतान करने पर ही आ पाएंगे जेल से बाहर

* शाहदरा स्थित फैक्ट्रियों के दोनों मालिक 23 किलोवाट बिजली की चोरी कर रहे थे *ऑटो पाटर्स बनाने व इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए हो रहा था चोरी की बिजली का इस्तेमाल

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2007। एक महत्वपूर्ण फैसले में पटपड़गंज स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने दो फैक्ट्री मालिकों - जगदीश सिंह और राजेन्द्र कुमार को बिजली चोरी के जुर्म में दो साल के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। यदि वे बीच में 4 लाख रुपये जुमाने की राशि का भुगतान कंपनी को कर देते हैं, तो जेल से रिहा हो जाएंगे। कोर्ट ने जगदीश को आदेश दिया है कि वह कंपनी को 3.3 लाख रुपये जुमाने के तौर पर भुगतान करे, वहीं राजेन्द्र को 88 हजार रुपये जुमाना चुकाने के निर्देश दिए गए हैं।

दरअसल, 13 जून, 2003 को बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम द्वारा किए गए निरीक्षण में जगदीश सिंह को 18 किलोवाट और राजेन्द्र सिंह को 5 किलोवाट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया था। ये दोनों मीटर को बायपास करके बिजली की चोरी कर रहे थे। जांच में पता चला कि बीएसईएस के बिजली मीटर को डिसकनेक्ट कर छोड़ दिया गया था। राजेन्द्र कुमार जहां चोरी की बिजली का इस्तेमाल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कर रहे थे, वहीं जगदीश सिंह ऑटो पाटर्स बनाने के लिए चोरी की बिजली का उपयोग कर रहे थे।

बीएसईएस ने बिजली कानून, 2003 के तहत जगदीश सिंह पर 3.3 लाख रुपये और राजेन्द्र कुमार पर 88,779 रुपये का जुर्माना किया था। दोनों ही आरोपियों ने तय समय-सीमा के भीतर जुमाने का भुगतान नहीं किया। इसके बाद, बीएसईएस ने गाकुलपुरी पुलिस थाने में एफआईआर (नंबर 238/03) दर्ज कराई। 2 मई, 2006 को बीएसईएस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त रूप से स्पेशल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया।

इस बीच, जनवरी 2005 से अब तक बीआरपीएल ने बिजली चोरी के 1300 मामले स्पेशल कोर्ट में दर्ज कराए हैं, और बीवाईपीएल ने 2000 मामले। 160 से अधिक लोगों को स्पेशल कोर्ट द्वारा जेल भी भेजा जा चुका है। जुलाई 2002 से, बीएसईएस ने बिजली चोरी के 53,000 मामले पकड़े हैं और 3.17 लाख किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी है।

प्रवक्ता का कहना है कि डीटी मीटरिंग, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आदि आधुनिक तकनीक से तो बिजली चोरी पकड़ने में मदद मिल ही रही है, साथ ही ईमानदार उपभोक्ताओं द्वारा दी जा रही सूचनाओं से भी हमें सहायता मिल रही है।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

प्रशान्त दुआ- 39999870/ 9312007822

कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस

चंद्र पी कामत- 39999088/ 9350130304

कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस